भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2136
10 दिसंबर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

वैश्विक महामारी से निपटने के लिए राज्यों को निधि

2136. श्री किशन कपूर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी को अचानक फैलने से रोकने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई विशेष निधि आवंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख) भारत सरकार महामारी की शुरुआत से ही कोविड-19 के प्रबंधन के प्रयासों में राज्यों का सहयोग कर रही है। कोविड-19 और अन्य जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रति तैयारियों और अनुक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रबंधन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने, दवाओं और चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सहित आवश्यक लाजिस्टिक की उपलब्धता के लिए विभिन्न पहल की गई हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में ईसीआरपी पैकेज के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता सहायता प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान ईसीआरपी के तहत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी निधि का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान ईसीआरपी के तहत कोविड -19 गतिविधियों हेतु सहायता के रूप में केंद्रीय अनुदान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14.80	7.11
2	आंध्र प्रदेश	422.67	208.96
3	अरुणाचल प्रदेश	21.96	63.87
4	असम	216.69	365.61
5	बिहार	193.94	516.43
6	चंडीगढ़	35.92	2.84
7	छत्तीसगढ	109.21	188.03
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4.67	4.76
9	दिल्ली	787.91	15.10
10	गोवा	17.65	5.89
11	गुजरात	304.16	239.61
12	हरियाणा	187.71	91.21
13	हिमाचल प्रदेश	54.48	108.26
14	जम्मू और कश्मीर	194.58	128.82
15	झारखंड	70.84	191.67
16	कर्नाटक	409.63	252.02
17	केरल	573.96	86.94
18	लद्दाख	44.77	31.26
19	लक्षद्वीप	0.79	0.74
20	मध्य प्रदेश	286.57	437.17
21	महाराष्ट्र	1185.12	410.39
22	मणिपुर	19.92	38.67
23	मेघालय	14.82	41.37
24	मिजोरम	8.86	19.93
25	नगालैंड	10.27	28.11
26	उड़ीसा	146.44	258.59
27	पुदुचेरी	23.35	2.71
28	पंजाब	165.28	99.44
29	राजस्थान	426.39	425.00
30	सिक्किम	7.16	9.83

31	तमिलनाडु	868.09	239.80
32	तेलंगाना	386.37	149.34
33	त्रिपुरा	23.21	41.86
34	उत्तर प्रदेश	541.56	939.94
35	उत्तराखंड	72.25	122.28
36	पश्चिम बंगाल	295.28	302.39
	कुल	**8147.28**	**6075.95**
	स्वास्थ्य बीमा	110.60	0.00
	कुल योग	**8257.88**	**6075.95**

टिप्पणी :

1. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान चरण-I के तहत जारी निधि 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित है।

2. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान चरण- II के तहत जारी निधि एनएचएम के तहत अनुमोदित केंद्र-राज्य वित्तपोषण के अनुसार है और इसे 24.11.2021 तक अद्यतन किया गया है।

******